उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-39/2016/1958/92-1-16-01आरईएस/2003,
लखनउ:: दिनांक:: 28 जून, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2008 के आधार पर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पद पर चयनित श्री राम बहादुर पुत्र श्री विश्वनाथ, ग्राम-हरई पट्टी, पो0-सैफाबाद, जिला-प्रतापगढ़ (उ0प्र0) को शासन के पत्र संख्या-2484/92-2014-01आरईएस/2003, दिनांक 11-6-2014 द्वारा निर्देशित किया गया था कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के समक्ष उपस्थित होकर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करायें, परन्तु इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20-11-2014 द्वारा अनुस्मरण कराये जाने के बाद भी श्री राम बहादुर द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के समक्ष उपस्थित होकर मोडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया।

2- उपरोक्तानुसार वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में शासन के पत्र संख्या-5014(4)/92-1-2016-01आरईएस/2003, दिनांक 07-01-2016 द्वारा श्री राम बहादुर को उक्त वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अधिकतम 25 दिनों में यदि उनसे वांछित अभिलेख शासन को प्राप्त नहीं हुए तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

3- उपर्युक्त पत्र दिनांक 07-01-2016 के संदर्भ में श्री राम बहादुर से अभी तक कोई सूचना/वांछित अभिलेख शासन में प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार शासन द्वारा प्रेषित उपर्युक्त पत्रों के संदर्भ में श्री राम बहादुर द्वारा कोई भी पत्राचार न किये जाने की स्थिति में यह स्पष्ट है कि वे ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में योगदान किये जाने के इच्छुक नहीं हैं।

4-- अत: उक्त वर्णित स्थिति में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर चयनित श्री राम बहादुर पुत्र श्री विश्वनाथ का अभ्यर्थन समाप्त/निरस्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2016/1958)1/(92-1-2016तद्दिनांक। ,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या-78)7/(01-ई/32009/-10, दिनांक 09-05-2014 के क्रम में। **(रजिस्टर्ड)**
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- श्री राम बहादुर पुत्र श्री विश्वनाथ, ग्राम-हरई पट्टी, पो0-सैफाबाद, जिला-प्रतापगढ़ (उ0प्र0) 230138 **(रजिस्टर्ड)**
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in